संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(एसपी)/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
1- उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष,
2- उत्तर प्रदेश।
आयुक्त एवं निदेशक,
3- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल, 2016

विषय-उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का प्रख्यापन

महोदय,

राजकीय विभागों में सामग्री क्रय संबंधी विद्यमान 'स्टोर परचेज रूल्स' दिनांक 13 मार्च, 1935 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-905/ XVIII-652 द्वारा प्रख्यापित किये गये थे, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-1 के परिशिष्ट- XVIII में उपलब्ध हैं। यह नियम मात्र 12 पृष्ठों में हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अनुलग्नक भी समय-समय पर जोड़े गये हैं। इन नियमों के प्रख्यापन से 81 वर्ष की लम्बी अवधि में मामूली संशोधन हुये हैं, जो कमोबेश तदर्थ आधार पर मौद्रिक सीमाओं में वृद्धि करने तक सीमित रहे। शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया कि समय के साथ बदलती परिस्थितियों में यह नियम काफी सीमा तक अप्रासंगिक हो गये हैं।

2- उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में भण्डार क्रय प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण हेतु सूत्र संख्या-223 विकास एजेण्डा में सम्मिलित किया गया। इसी मध्य उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के नवलेखन की आवश्यकता के दृष्टिगत सरकारी विभागों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के क्रय के लिये प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एक सेल का गठन किया गया। उक्त सेल द्वारा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का आलेख तैयार करने के संबंध में केन्द्र सरकार के 'मैनुअल फार परचेज आफ गुड्स' प्रोक्योरमेन्ट संबंधी संसद में प्रस्तुत दि पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट बिल, 2012 (बिल संख्या-58 आफ 2012 ), विभिन्न राज्य सरकारों के प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा कतिपय सरकारों द्वारा

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बनाये गये अधिनियम, सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय उपलब्ध निर्णयों के अन्तर्गत पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन किया गया। तदनन्तर अंतर्विभागीय विचार-विमर्श के उपरान्त मैनुअल को अंतिम रूप दिया गया है जिसमें कुल 24 अध्याय एवं 01 परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

3- अतः सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) (संलग्नक-अंग्रेजी में) को भारत के संविधान के अनुच्छेद-166(2) व (3) के अन्तर्गत प्रख्यापित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषयवस्तु से संबंधित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-1 के परिशिष्ट- XVIII एवं उसके अनुलग्नक के संबंधित प्राविधान इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

4- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि -

(1) सामग्री क्रय संबंधी अधिकारों की मौद्रिक सीमा में वृद्धि सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त की जा सकेगी।

(2) क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिये सक्षम स्तर का निर्धारण शासन स्तर पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा।

(3) क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित की जाने वाली विभिन्न समितियों के अधिकारों का निर्धारण शासन स्तर से सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(4) उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों द्वारा शासनादेश निर्गत किये जायेंगे तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण तथा संबंधित प्राविधानों की व्याख्या शासन स्तर पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

5- उक्त मैनुअल का हिन्दी रूपान्तर बाद में यथासमय निर्गत किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन,लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया
5- अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों व प्राधिकरणों को
शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल ।
9-

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।